दिनांक 28.08.2025 अपराह्न 4:00 बजे अपर सचिव –सह– अध्यक्ष, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सचिवालय संवर्ग के सेवाओं के पदों के पुनर्गठन/सृजन के संबंध में उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. श्रीमती गीता सिंह, अपर सचिव –सह– अध्यक्ष, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
2. श्री गौतम कुमार चौधरी, अवर सचिव –सह– सदस्य, मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।
3. डॉ० प्रमोद कुमार, स्टाफ पशु चिकित्सा पदाधिकारी –सह– सदस्य, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।
4. श्री नीरज देवनाथ, अवर सचिव –सह– सदस्य, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना।
5. श्री नितिश कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03 –सह– सदस्य, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया।

मत्स्य निदेशालय के द्वारा समर्पित मंतव्य प्रतिवेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया :–

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत मत्स्य प्रभाग के लिए मत्स्य निदेशालय सचिवालय स्तर पर संलग्न कार्यालय के रूप में कार्यरत है। जिसके तहत मत्स्य प्रभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ–साथ अराजपत्रित पदाधिकारियों/कर्मियों के स्थापना का कार्य/निगरानी किया जाता है। वर्तमान समय में मत्स्य प्रभाग लिए सभी संवर्गों सहित कुल 1685 स्वीकृत बल का स्थापना होने के साथ–साथ मत्स्य के विकास में उत्तरोतर वृद्धि देखा गया है, जो संक्षिप्त में इस प्रकार है, कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए मत्स्य विकास हेतु 317.4019 करोड़ का संशोधित बजट प्रावधान, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए मत्स्य विकास हेतु 403.7348 करोड़ का संशोधित बजट प्रावधान है जबकि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए मत्स्य विकास हेतु अनुपूरक सहित 402.5299 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। हाल के कुछ दिनों में कई प्रकार के नये–नये योजनाओं का सृजन यथा केन्द्र स्तरीय पीएम पैकेज योजना, राज्य स्तर पर सात निश्चय योजना व सीएफएमएस प्रणाली के तहत आवंटन की प्रक्रिया, एचआरएमएस के तहत कैडर मैपिंग जैसे सेवा संबंधित कार्य, विभिन्न पोर्टल से शिकायत/परिवाद यथा–सीपी ग्राम्स, सूचना का अधिकार के तहत सूचना आवेदन एवं ई–कम्पलायंस डैशबोर्ड, विधिक मामले में लोकायुक्त में दायर परिवाद की निगरानी, मानवाधिकार में दायर परिवाद, मत्स्य सह मखाना के जलकरों का जियो टैगिंग एवं प्रखण्ड के अतिरिक्त पंचायत स्तर पर मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के गठन का कार्य एवं इससे संबंधित अनन्य कार्य दिन प्रतिदिन अप्रत्याशित ढंग

से बढ़ते चला जा रहा है और निकट भविष्य में बढ़ने की भी प्रबल संभावना है। प्रशाखा वार कार्य के लिए चिन्हित विषयों की सूची अलग से संलग्न की गई है।

विदित हो कि वर्तमान समय में राज्य का कुल मत्स्य उत्पादन 9.17 लाख मीट्रीक टन प्रति वर्ष है, जिसे वर्ष 2028 तक बढ़ाकर 12.7 लाख मीट्रीक टन प्रति वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। उपरोक्त वर्णित सभी नये कार्यो का निपटारा/निगरानी मत्स्य निदेशालय स्तर पर सचिवालय स्तरीय पदों की कम संख्या/स्वीकृति के अभाव में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए मत्स्य निदेशालय द्वारा निम्नरूपेण सचिवालय संवर्ग के पदों का पुनर्गठन/सृजन का प्रस्ताव दिया गया है :–

पदनाम	वेतन स्तर	वर्त्तमान में मौजूद सृजित कुल पद	नव सृजित पदों की संख्या	सृजन के उपरांत कुल पद
उप सचिव	12	01	01	**02**
अवर सचिव	11	02	02	**04**
प्रशाखा पदाधिकारी	09	03	09	**12**
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	07	12	32	**44**
उच्च वर्गीय लिपिक	04	02	10	**12**
निम्न वर्गीय लिपिक	02	03	15	**18**
आशुलिपिक	04	0	04	**04**
आप्त सचिव	07	0	03	**03**
कार्यालय परिचारी	01	15	25	**40**
चालक	02	01	01	**02**

पशुपालन निदेशालय के संबंधित पदाधिकारी द्वारा समर्पित अपने मंतव्य प्रतिवेदन में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

सचिवालय संवर्ग के लिपिकीय सेवा/परिचारी सेवा/आशुलिपिक सेवा का पुनर्गठन हुए लगभग 10 वर्ष से भी अधिक हो चुका है। बिहार सचिवालय सेवा का पुनर्गठन हुए भी 6 वर्ष (लगभग) से अधिक की अवधि बीत चुकी है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि विगत वर्षो में पशुपालन निदेशालय अन्तर्गत योजना कार्य में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। जिस कारण क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ–साथ पशुपालन निदेशालय के कार्यो में भी काफी अधिक वृद्धि हो गयी है।

साथ ही विगत वर्षों में कई नये प्रकृति के कार्यो यथा HRMS, CFMS, e-Office, RTI, SPPAROW, Biometric Attendance, Cadre Mapping, e-Service Book इत्यादि विकसित हुए हैं। उक्त कार्यों के सुचारू रूप से संचालन/क्षेत्रीय कार्यालयों को सुव्यवस्थित रूप से प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु पशुपालन निदेशालय अन्तर्गत सचिवालय संवर्ग के सेवाओं के पुनर्गठन/सृजन पर विचार किया जा सकता है। पदों की स्वीकृति यदि निम्न प्रकार से किया जाता है तो बेहतर होगा। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि पशुपालन निदेशालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का कुल 60, निम्न वर्गीय लिपिक–18, उच्च वर्गीय लिपिक–18 पद स्वीकृत है। उक्त पद में से अधिकांश पद पर पदस्थापित कर्मियों की सेवा विभाग स्तर पर ली जाती है। किन्तु वेतनादि का निकासी निदेशालय स्तर पर ही होता है। अनुरोध है कि विभाग स्तर अपना आवश्यकता के आधारित पदों का सृजन कराते हुए पशुपालन निदेशालय हेतु कुल स्वीकृत पद के विरूद्ध पदस्थापित कर्मियों को पशुपालन निदेशालय को वापस कर दिया जाय।

नि०व०लि०	उ०व०लि०	आशु० लि०	स०प्र०पदा०	प्रशाखा पदा०	अवर सचिव	उप सचिव	आप्त सचिव	निजी सहायक	परिचारी
30	20	10	60	15	7	3	1	1	80

गव्य विकास निदेशालय द्वारा समर्पित मंतव्य प्रतिवेदन में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया है :–

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभागान्तर्गत गव्य विकास निदेशालय के अंतर्गत विगत कुछ वर्षो में योजनाओं के कार्यान्वयन, मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासन/नियंत्रण इत्यादि में अप्रत्याशित वृद्धि के फलस्वरूप पूर्व से स्वीकृत कार्यबल में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की नितांत आवश्यकता प्रतीत होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में गव्य विकास निदेशालय में कुल 10 प्रशाखाओं के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल देते हुए सचिवालय संवर्ग के पदों के संबंध में निम्नरूपेण प्रस्ताव दिया :–

पदनाम	वर्त्तमान में मौजूद सृजित कुल पद	नव सृजित पदों की संख्या	सृजन के उपरांत कुल पद
संयुक्त सचिव	0	01	**01**
उप सचिव	01	01	**02**
अवर सचिव	02	02	**04**
प्रशाखा पदाधिकारी	03	07	**10**
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	12	18	**30**
उच्च वर्गीय लिपिक	01	03	**04**
निम्न वर्गीय लिपिक	01	09	**10**

आशुलिपिक	0	02	**02**
निजी सहायक	04	0	**04**
आप्त सचिव	0	01	**01**

श्री नितिश कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी मुख्यालय स्थापना (प्रशाखा–03), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निदेशालय के योजनाओं/स्थापनाओं कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण सरकार स्तर पर संबंधित शाखा में भी कार्यों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने का उल्लेख किया गया है, साथ ही इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया है कि विगत वर्षों में नये–नये प्रकृति के अनेकों कार्य यथा HRMS, CFMS, e-Office, CP Grams, समेकित निगरानी पटल आदि जैसे कार्यों की बहुतायात बढ़ी है जिस कारण संबंधित प्रशाखाओं में पूर्व की अपेक्षा कार्यबोझ काफी अधिक बढ़ गया है। भविष्य में भी नये प्रकृिति के कार्यों का सरकार द्वारा आरंभ करने की भी पूर्ण संभावना है, जिससे लगभग सभी प्रशाखाओं में आवंटित कार्यों का निष्पादन किये जाने में काफी कठिनाई होगी।

श्री कुमार द्वारा इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया कि सरकार स्तर पर बिहार सचिवालय सेवा के सभी पद, बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्न वर्गीय लिपिक पद एवं सचिवालय संवर्ग के चालक पद का सृजन/कर्णांकन ही नहीं है जिस कारण विगत दिनों में HRMS Modules के निष्पादन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। अंकेक्षण दल द्वारा भी इस संबंध में कतिपय आपत्तियाँ दर्ज की जाती रही है।

विभाग स्तर पर अन्य पदाधिकारियों से हुए विमर्श का हवाला देते हुए निम्नरूपेण सचिवालय संवर्ग के पदों का पुनर्गठन/सृजन हेतु प्रस्ताव दिया गया है :–

क्र०	पदनाम	पूर्व से स्वीकृत पद	प्रस्तावित नये पद	पुनर्गठन/सृजन के पश्चात् कुल पद
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	उप सचिव	00	02	02
2	प्रधान आप्त सचिव	01	01	02
3	अवर सचिव	00	06	06
4	आप्त सचिव	03	01	04
5	प्रशाखा पदाधिकारी	00	12	12
6	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	00	48	48
7	निजी सहायक	01	01	02
8	उच्च वर्गीय लिपिक	05	09	14
9	आशुलिपिक	06	02	08
10	निम्न वर्गीय लिपिक	00	20	20
11	कार्यालय परिचारी	11	30	41
12	चालक	00	03	03

तीनों निदेशालय एवं सरकार स्तर के पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर सभी सदस्यों द्वारा गहनतापूर्वक विचार विमर्श किया गया, तदोपरांत अपर सचिव –सह– अध्यक्ष, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय मुख्यालय स्थापना (प्रशाखा–03) के प्रशाखा पदाधिकारी को सभी प्रतिवेदनों में अंकित तथ्यों का सम्यकपूर्वक अध्ययन के पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

ह०/–	ह०/–	ह०/–	ह०/–	ह०/–
(श्री नितिश कुमार) प्रशाखा पदा०, प्रशाखा–03 –सह– सदस्य, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	**(श्री नीरज कुमार देवनाथ)** अवर सचिव –सह– सदस्य, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना।	**(डॉ० प्रमोद कुमार)** स्टाफ पशु चिकित्सा पदा० –सह– सदस्य, पशुपालन निदे०, बिहार, पटना।	**(श्री गौतम कुमार) चौधरी**, अवर सचिव –सह– सदस्य, मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।	**(श्रीमती गीता सिंह)** अपर सचिव –सह– अध्यक्ष, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 3/स्था०(6) 39/2024 – / पटना – 15, दिनांक –

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 3/स्था०(6) 39/2024 – / पटना – 15, दिनांक –

प्रतिलिपि – निदेशक, पशुपालन/मत्स्य/गव्य विकास एवं तीनों निदेशालय के संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 3/स्था०(6) 39/2024 – 3944 / पटना – 15, दिनांक – 03/09/25

प्रतिलिपि – आई०टी० प्रबंधक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03/09/25

सरकार के अवर सचिव।